कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल

क्रमांक 1424 /209/आउशि/अनु.ब./22 भोपाल, दिनांक 20/9/2022

प्रति,

1. **प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित**
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
म0प्र0 (कॉलम 07 के अनुसार)

2. **प्राचार्य,**
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
म0प्र0 (कॉलम 02 के अनुसार)

विषयः– अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत् अशैक्षणिक वर्ग के कर्मचारियों को समयमान/सातवें वेतनमान एवं शैक्षणिक वर्ग के यूजीसी वेतनमान में वेतननिर्धारण पर एरियर्स की राशि आवंटित करने बाबत्।

-----0-----

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रदेश के निम्न अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों से विभिन्न प्रकरणों में संबंधित शिक्षाधिकारी से सत्यापित प्राप्त मांगपत्र के तारतम्य में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों-निर्देशों के अंतर्गत संबंधित महाविद्यालय के समक्ष कॉलम-3 एवं 4 में वांछित मांग राशि के अनुक्रम में कॉलम-5 अनुसार राशि स्वीकृत करते हुये बजट आवंटन किया जाता हैः-

स क	महावि. का नाम एवं पत्र क्र. दि. एवं विवरण	समयमान एवं सातवें वेतनमान की एरियर राशि	यूजीसी वेतनमान में वेतन निर्धारण का एरियर्स	कुल स्वीकृत एवं आवंटित राशि	रिमार्क	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री क्लाथ मार्केट कन्या वाणिज्य महावि. इंदौर 105/25.5.22 डॉ. श्रीमती हेमा मिश्रा,स.प्रा. के चतुर्थ पे-बैण्ड वेतन निर्धारण	-	6732842	6732842	-	प्राचार्य माता जीजाबाई शास. कन्या स्नातको. महावि. इंदौर
2	एम.के.एच.एस. गुजराती कन्या महाविद्यालय, इंदौर 229/22.4.22 तृतीय समयमान में वेतन निर्धारण श्रीमती सरला व्यास,लेब.टेक्नी. श्री गिरीश सुंदरलाल श्रीवंश, बुक लिफ्टर	58752	-	58752	-	
3	इस्लामिया करीमिया कालेज इंदौर 1530/27.6.22 प्रो. जाकिर हुसैन, सहा.प्राध्या. का चतुर्थ पे-बैण्ड में वेतन निर्धारण	-	60059	60059	-	
	योग			**6851653**		

2. उपरोक्तानुसार संबंधित महाविद्यालय के समक्ष कॉलम-3 एवं 4 में वांछित राशि के अनुक्रम में कॉलम-5 अनुसार स्वीकृत एवं कुल आवंटित राशि **रूपये 68,51,653/- (रूपये अड़सठ लाख इक्यावन हजार छः सौ तिरेपन मात्र)** वित्तीय वर्ष 2022-23 में कॉलम-7 में उल्लेखित अग्रणी महाविद्यालय के डीडीओ कोड से **बजट शीर्ष 044-2202-03-104-3444-0102-42-002** के अंतर्गत विकलनीय होगी । तदानुसार राशि अपलोड की गई है।

3. शैक्षणिक अधिकारियों को शत-प्रतिशत अनुदान भुगतान एवं महाविद्यालय के संपूर्ण स्टाफ के वेतननिर्धारण, सेवा-पुस्तिका में वेतन नियमन की प्रविष्टियों के संबंध में शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण करने वाली राशि से संबंधित वेतनमान संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अधिनस्थ, संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक म.प्र. द्वारा अनुमोदित हो।

4. आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु तत्कालीन म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग/शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर की गई नियुक्तियों पर कार्यरत् शिक्षकों/कर्मचारियों को देय राशि का ही आहरण किया जावे।

निरंतर...2

Scanned with CamScanner

5. आवंट्टित राशि से केवल ऐरियर का ही भुगतान किया जावे, अन्य किसी भी राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के बिना न किया जावे। किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान की राशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली योग्य होगा ।

6. उक्त आवंट्टित राशि से सम्बंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिए इनके विवेकानुसार जाँच हेतु खुले रहेंगे।

7. यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त आहरण संवितरण अधिकारी वित्त संहिता के नियम 175-176 में दिये गये निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें ।

8. उपरोक्त आवंट्टित राशि से यदि किसी को अनियमित भुगतान किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक वर्ग/प्राचार्य/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एंव शिक्षा अधिकारी की होगी।

9. संबंधित प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय उपरोक्तानुसार आवंटित राशि सात दिवस में आहरित एवं भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

10. दिनांक 01.04.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा दिनांक 23.01.2003 के पश्चात् अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को एरियर्स का भुगतान उक्त आवंटन में से नहीं किया जावे।

11. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान/व्यय की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य/संस्था एवं अग्रणी महाविद्यालय की संयुक्त रूप से होगी।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डी.एस. हाड़ा)
संयुक्त संचालक-वित्त
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/ 1425 /209/आउशि/अनु.ब./22 भोपाल, दिनांक 20/9/2022

<u>प्रतिलिपि</u> :-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के स्टाफ अधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(न्या.शा.), कार्या. आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर या.क्र. क्र. 5914/16 एवं अवमानना याचिका 224/20 के संबंध में उनकी नेमीटीप कमांक 699/218/न्या/अशा/22 दिनांक 21.07.2022 के संदर्भ में ।
6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर म.प्र.।
7. संबंधित कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, इंदौर ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner